



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पाटलीपुत्र, पटना-800 010

पत्रांक:- 1801.
प्रेषक,

पटना, दिनांक :- 02-6-2022

एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0
सदस्य सचिव

सेवा में,


पर्षद् विश्लेषक
सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी
सभी सहायक पर्यावरण अभियंता
सभी वैज्ञानिक
सभी सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी
मिडिया कन्सल्टेंट
सदस्य सचिव कोषांग
श्री नीरज कुमार सिन्हा, सहायक प्रोग्रामर

विषय:-सहमति प्रबंधन के तहत जल अधिनियम, वायु अधिनियम एवं भिन्न-भिन्न नियमावलियों के तहत सहमति एवं प्राधिकरण आवेदनों के निष्पादन-अवधि के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जल एवं वायु अधिनियमों के तहत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्रबंधन एवं भिन्न-भिन्न नियमावलियों के तहत प्राधिकरण हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की अवधि निर्धारित की गयी है। निदेश है कि नीचे दिये गये समयावधि में उपरोक्त आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करना चाहेंगे:-

- 1) जल एवं वायु अधिनियमों के तहत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति- 120 दिन;
- 2) बायो-मेडिकल वेस्ट नियमावली के तहत प्राधिकरण- 90 दिन;
- 3) हजार्डस वेस्ट नियमावली के तहत प्राधिकरण- 120 दिन;
- 4) बैट्रीज नियमावली के तहत प्राधिकरण:
 - a. डिलर्स (राज्य पर्षद् द्वारा निर्गत किया जाना है)- 30 दिन
 - b. रिसाईकिलर्स (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत किया जाना है)- 120 दिन।
- 5) ई-वेस्ट नियमावली के तहत प्राधिकरण- 120 दिन
- 6) प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के तहत प्राधिकरण- 90 दिन
- 7) सॉलिड वेस्ट प्रबंधन नियमावली के तहत प्राधिकरण- 60 दिन
- 8) कन्सट्रक्सन एवं डिमोल्यूशन वेस्ट नियमावली के तहत प्राधिकरण-अवधि निर्धारित नहीं की गयी है।

विश्वासभाजन,


(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य सचिव